संo 1063/V-श0वि0–06–33(सा0)/06

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक–27 जुलाई, 2006

विषय : जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर नलकूप निर्माण हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष–2005–06 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 160 श0वि0नि0/अव0टी0सी0–89/लेखा0/2006 दिनांक– 16मई,2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शासनादेश सं0 157/V-श0वि0–06–33(सा0)/06 के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) के प्रत्यावेदन के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0 157/Vश0वि0–06–33(सा0)/06 दिनांक 21–3–2006 के प्रतिबन्धों में से प्रस्तर सं0 6, 13 और 14 को निरस्त करते हुए इनके स्थान पर निम्नलिखित बिन्दुओं को समाहित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

1– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उत्तर प्रदेश शासन के वित्त लेखा अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 ए–2–87(1) दस–97–17(4)/75, दिनांक 27–2–97 के अनुसार सेन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गयी धनराशि में से सेन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गयी धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सेन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी।

2– उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना की स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक कदापि व्यय न किया जाये।

4– कार्य आरंभ से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करते समय अनुपालन सुनिश्चित् किया जाये।

सं0 2475 / V-श0वि0-06-208(सा0) / 05टी.सी.I

प्रेषक,

एन0के0जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक– 27जुलाई, 2006

विषय : नगर पालिका परिषद, विकास नगर, जनपद देहरादून में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न कार्यों की वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृति के विरूद्ध नई दरों के आधार पर टाईल्स सडको के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष–2006–07 में **प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 482 / V-श0वि0-06-208(सा0) / 05टी.सी.I, दिनांक 06 मार्च,2006 के माध्यम से स्वीकृत सी.सी. सडकों के स्थान पर शासन द्वारा लिए गये निर्णय के अनुरूप टाईल्स की सडकों के निर्माण हेतु नगर पालिका परिषद, विकास नगर, जनपद देहरादून द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तुत पुनरीक्षित आगणन रू0–114.77 लाख की लागत के आगणन विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–105.96 लाख को शासनादेश सं0–482, दिनांक 6–3–06 के माध्यम से स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि रू0 119.65 लाख में समायोजित करते हुए केवल उक्त योजनाओं की पूर्व में दी गई रू0 87.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति और रू0 114.77 लाख (रूपये एक करोड चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– शासनादेश सं0–482, दिनांक 6–3–06 के संलग्नक के कमांक–2, 7 एवं कमांक–10से 13 के कार्य अन्य योजना से स्वीकृत होने के कारण उक्त कार्यों की स्वीकृति निरस्त करते हुए संलग्न सूची में उल्लिखित 31 कार्यो हेतु धनराशि का समायोजन किया जायेगा। शासनादेश सं0–482, दिनांक 6–3–06 के माध्यम से स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि रू0 119.65 लाख में से उक्तानुसार 114.77 लाख की धनराशि के समायोजन के उपरान्त व्यय किया जायेगा और शेष कार्य रू0 13.69 लाख धनराशि की बचत के सापेक्ष नये कार्यो हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत किया जा रहा है।

2– अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– स्वीककृत धनराशि का उपयोग संलग्न योजनाओ एवं मदों के लिए ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना / मद में

(मायावती बर्त्वाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
उत्तरांचल शासन

14– विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– शासनादेश जारी किये जाने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को 31–3–2007 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

17– कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–372/XXVII(2)/2006, दिनांक–26 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0के0जोशी)
अपर सचिव।

सं0 2475(1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकास नगर।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

	नाली का टाईल्स सड़क निर्माण कार्य			
21	वार्ड सं0–8 में पालिका बाजार के पीछे से श्री ईश्वर दयाल के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.47	2.41	2.09
22	वार्ड सं0–8 में श्रीमती बसंती मैठानी के घर से पालिका बाजार के पीछे तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.97	1.55	1.34
23	वार्ड सं0–8 में अस्पताल रोड रोड पर श्री दिवाकर गुप्ता से श्री सन्तोष रोहिला के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.86	1.40	1.22
24	वार्ड सं0–8 में श्री कृष्णलाल के मकान से श्री पी0डी0 थपलियाल के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.41	0.61	0.54
25	वार्ड सं0–8 में अस्पताल रोड पर श्री उत्तम की दुकान से श्री महिमानन्द के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.77	2.64	2.30
26	वार्ड सं0–8 एवं 9 में अस्पताल रोड पर शहीद पार्क से एन0एच0 123 पर रामकुमार स्वीट्स तक नाली निर्माण कार्य	10.45	10.19	10.08
27	श्री डी0डी0 उनियाल के मकान से श्रीमती सुषमा जगूड़ी के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.47	0.72	0.63
28	दूरभाष केन्द्र से एन0एच0 123 पर डा0 नरेश राणा के घर तक टाईल्स सड़क एंव नाली निर्माण कार्य	5.72	5.97	5.68
29	वार्ड सं0–9 में एन0एच0 123 से श्री सुरेश रावत के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.32	0.80	0.70
30	वार्ड सं0–9 में अस्पताल रोड से श्री राकेश कुमार के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.21	0.32	0.28
31	बाईपास रोड पर भूमिगत जल निकासी का कार्य	21.16	27.98	27.68
	कुल योग–	87.50	114.77	106.89

उक्त रू0 106.89 में से इनओगरेशन बोर्ड की लागत में से प्रति बोर्ड रू0 3000 कटौती के फलस्वरूप रू0 105.96 लाख पर टी ए. सी. द्वारा सहमति दी गई है। तद् अनुसार शासनादेश सं0 482 दि0 6–3–06 के द्वारा स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए रू0 13.69 लाख की बचत होती है जिसके सापेक्ष नये कार्य पृथक से स्वीकृत किये जा रहे हैं।

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

सं0 2476/V/2006–208(सा0)/2005टी.सी.I

प्रेषक,

एन0के0जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग: देहरादून: दिनांक–27जुलाई, 2006

विषय नगर पालिका परिषद, विकास नगर, जनपद देहरादून में अवस्थापना विकास निधि से विभिन्न कार्यों की वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृति के विरूद्ध अन्य योजनाओं से स्वीकृत कार्यों के स्थान पर हुई बचतों के सापेक्ष प्रशासकीय वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 482/V-श0वि0–06-208(सा0)/05टी.सी.I, दिनांक 06 मार्च,2006 के माध्यम से स्वीकृत 37सी.सी. सड़कों में से क्रमांक–2, 7 एवं क्रमांक– 10से 13 (06 सड़कें) अन्य योजना से स्वीकृत होने के कारण इन 06 कार्यों को निरस्त करते हुए इनके स्थान पर संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार नगर पालिका परिषद, विकास नगर, जनपद देहरादून द्वारा प्रस्तुत रू0–15.66 लाख की लागत के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0–14.04 लाख (रूपये चौदह लाख चार हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6–3–06 के माध्यम से स्वीकृत एवं अवमुक्त धनराशि रू0 119.65 लाख में से 06 सड़कों को पृथक कर 31 सड़कों के टाईल्स से निर्माण की स्वीकृति रू0 105.96 लाख के समायोजन के उपरांत बचत की धनराशि रू0 13.69 लाख (रूपये तेरह लाख उनहत्तर हजार मात्र) का समायोजन द्वारा व्यय की स्वीकृति देते हुए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। समायोजन के उपरांत शेष अंतर की तुलनात्मक धनराशि रू0 0.35 लाख (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक से व्यय की स्वीकृति देते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि रू0 0.35 लाख (रूपये पैंतीस हजार मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगी।

2– अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा, किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदो में न किया जाय, इसके लिए सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

3– उक्त एवं पूर्व स्वीककृत धनराशि का उपयोग संलग्न योजनाओं एवं मदों के लिए ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य

14– विद्युत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

15– निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

16– शासनादेश जारी किये जाने की तिथि से उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को 31–3–2007 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये और उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी।

17– कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

18– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2006–07के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

19– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–315/XXVII(2)/2006, दिनांक–25जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन0के0जोशी)
सचिव।

सं0 2476(1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– जिलाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
8– अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकास नगर।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 2476/V–श0वि0–06–208(सा0)/05टी0सी0 I दिनांक–27जुलाई, 2006 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	टी.ए.सी.से अनुमोदित आगणन/ स्वीकृत धनराशि
01	वार्ड स0–8 में त्रिशला जैन धर्मशाला से बर्च रोड पर श्री धनेन्द्र कौशिक के मकान तक सी0सी0 टाईल्स सडक का निर्माण कार्य	12.22	10.60
02	वार्ड स0–8 में 28 फुटारोड पर हास्पीटल रोड से श्री जयचंद के मकान तक सी0सी0 टाईल्स सडक का निर्माण कार्य	3.44	3.44
	कुल योग	15.66	14.04

31 टाईल्स सडको के शासनादेश के उपरान्त बचत की धनराशि रू0 13.69 लाख

(रू0 119.65 लाख –रू0 105.96 लाख = रू0 13.69 लाख) के समायोजन के उपरान्त शेष अंतर की तुलनात्मक धनराशि रू0 0.35 लाख (रूपये पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति।

(मायावती ढकरियाल)
अनु सचिव।

4— स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यो पर संबधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5— सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6— स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7— योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित् करने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि भूमि की उपलब्धता एक माह के भीतर सुनिश्चित् नहीं होती है और कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

8— यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

9— कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

10— सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

11— आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12— जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

शासनादेश संख्या 2475/v-श0वि0-06-208(सा0)/05टी0सी0 I दिनांक-27जुलाई, 2006 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु0 में)

क0 सं0	कार्य का नाम	शासनादेश सं0 482 दि0 8-3-06 के द्वारा स्वीकृत धनराशि	संशोधित आगणन की लागत	टी.ए.सी.से अनुमोदित आगणन/ स्वीकृत धनराशि
01	श्रीमति तारादेवी व श्री विजय कुमार जैन के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.86	0.46	0.40
02	भट्टा रोड से श्री नसीम, श्री तीमा बंजार, श्री इनीफगामा, श्री शब्बीर, श्री इसरार एवं श्री जहूर कुरेशीवाली गलियों का टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.51	2.09	1.79
03	गुरुद्वारा गली पर शीतला माता मन्दिर से नहर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	2.78	3.20	2.93
04	नहर पर श्री करम सिंह के घर से श्रीमती गंगा देवी के प्लाट तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	3.29	5.44	4.70
05	दिल्ली यमनोत्री मार्ग से नहर पर आशीष टिम्बर मर्चेट तक नाली निर्माण कार्य	2.16	1.40	1.35
06	श्रीमती गंगा देवी के मकान से भीमावाला रोड तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.96	2.41	2.09
07	बाईपास रोड पर श्री राजेश पोखरियाल के मकान से श्री जीवन सजवाण के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	3.29	4.44	4.72
08	केयर बस्ती में करोटीवाला मार्ग पर एन0एच0 123 से श्री गुरुरामराय स्कूल के नाले तक नाली निर्माण कार्य	5.23	5.44	5.24
09	श्री शशी आनन्द के मकान से श्रीमती कमलेश के मकान तक सी0सी0 टाईल्स सड़क निर्माण कार्य नाली निर्माण कार्य	0.54	0.62	0.56
10	[illegible] से श्री ओमप्रकाश के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	0.71	1.61	1.45
11	श्री अरुण चावला के मकान से श्री एम0एच0 कपूर के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण निर्माण कार्य	2.73	5.74	5.02
12	श्री अरुण चावला के मकान से श्री जगदीश माहेश्वरी के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण निर्माण कार्य	2.73	क्रमांक-11मे जोड़ा गया	क्रमांक-11मे जोड़ा गया
13	कक्ष सं0-6 में श्री रामेश्वर साहनी से पंचायती धर्मशाला तक टाईल्स सड़क नाली निर्माण कार्य	1.91	1.59	1.39
14	श्री अनिल कक्कड़ के मकान से श्री हरिओम सोनी के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.39	3.22	2.80
15	कक्ष सं0-6 में श्री अमरनाथ तुली के घर से श्री भगपत राय के मकान तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.85	2.33	2.02
16	कक्ष सं0-7 मे दिल्ली यमनोत्री मार्ग पर विकास क्लाथ हाउस से रामलीला ग्राउण्ड तक श्री रामेश्वर साहनी से पंचायती धर्मशाला तक टाईल्स सड़क नाली निर्माण कार्य	1.30	1.72	1.50
17	दिल्ली यमनोत्री मार्ग पर श्री भगत की दुकान से सब स्टेशन तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	1.30	3.22	2.94
18	सिनेमा गली मे श्री रामी की दुकान से विद्युत उपखण्ड कार्यालय तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	3.53	7.04	6.19
19	सिनेमा से श्री प्रकाश गुप्ता के घर तक टाईल्स सड़क निर्माण कार्य	3.53	7.04	6.19

(मायावती कण्डियाल)
अनुसचिव
शहरी विकास
शासन

4— स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओ/कार्यों पर सबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

5— सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।

6— स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

7— योजनाओं हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित् करने के बाद ही स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण किया जायेगा। यदि भूमि की उपलब्धता एक माह के भीतर सुनिश्चित् नहीं होती है और कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

8— यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं तब सम्बन्धित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।

9— कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय,पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगाया जायेगा। कार्य होने की पुष्टि में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व व पूर्ण करने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा ई0ओ0 के माध्यम से निदेशक को कार्य के चित्र लेकर प्रेषित किया जायेगा।

10— सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किस्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किस्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

11— आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12— जी0पी0डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण ईकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण ईकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टी के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित

5– स्वीकृत कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। स्थल निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिपणी के अनुरूप कार्य किया जाये।

6– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

सं0– 1063 (1)/V-श0वि0–06,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
7– अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
8– अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।